उत्तरांचल शासन,
वन एवं ग्राम्य विकास विभाग,
सं0 २५२ /व0एवं ग्रा0वि0वि0/2002
देहरादून,
दिनांक २०, अगस्त 2002

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 203/जलागम/कृषि/2002 दिनांक 15 मई 2002 द्वारा राज्य जलागम प्रबन्ध निदेशालय का गठन किया जा चुका है. एवं शासनादेश संख्या 101/व0ग्रा0वि0/जलागम अनु0/2002 दिनांक 24 मई 2002 द्वारा जलागम प्रबन्ध निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य, उत्तरदायित्वों एवं कार्यों का निर्धारण किया जा चुका है. इस निदेशालय द्वारा जलागम प्रबन्ध की समस्त परियोजनाओं के समन्वयन, नियोजन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण आदि का कार्य किया जा रहा है.

उपरोक्त के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय, जलागम प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्त परियोजनाओं के लिए नोडल विभाग का कार्य करेगा. तथा निदेशालय में गठित टास्क फोर्स द्वारा जलागम प्रबन्ध से सम्बन्धित DPAP, IWDP, NWDPRA तथा अन्य सभी जलागम परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु परीक्षण किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त भारत सरकार को भेजने की कार्यवाही जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा ही की जायेगी. इसके साथ–साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा, अनुश्रवण एवं मूल्यॉकन का कार्य भी जलागम प्रबन्ध निदेशालय के माध्यम से किया जायेगा.

सभी सम्बन्धित विभाग उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे.

(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव कृषि, उत्तरांचल शासन.
2. सचिव ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल.
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल.
6. अपर निदेशक कृषि, उत्तरांचल.

आज्ञा से,

(डा0आर0एस0टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त